"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 542] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2015—— अग्रहायण 14, शक 1937

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (1).– छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत नरहरपुर, जिला– उत्तर बस्तर कांकेर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डों की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	05	भगत सिंह वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	01	भजनाहालारी वार्ड
		03	शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड
		04	ईमलीपारा वार्ड
		12	मंडीपारा वार्ड
		15	इन्दरू केंवट वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	02	पंडित दीनदयाल वार्ड
		13	शहीद गैंदसिंह वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	निरंक

6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	—	निरंक
7.	महिला वर्ग	08	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
		09	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		14	अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (1).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (1), दिनांक 05–12–2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th December 2015

NOTIFICATION

No. F 1-13/2015/18 (1).– The list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Narharpur, distt. Uttar Bastar Kanker is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

S. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	05	Bhagat Singh Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	01	Bhajnahalari Ward
		03	Shaheed Veer Narayan Singh Ward
		04	Emleepara Ward
		12	Mandipara Ward
		15	Indru Kenwat Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	02	Pandit Deendayal Ward
		13	Shaheed Gaindsingh Ward
5.	Other Backward Class	-	Nil
6.	Other Backward Class (Female)	-	Nil

7.	Female	08	Shyama Prasad Mukherjee Ward
		09	Lal Bahadur Shastri Ward
		14	Atal Bihari Bajpayee Ward

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (2).– छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत कोण्टा, जिला–सुकमा के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डों की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	श्रीमती इंदिरागांधी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	3	भगतसिंह वार्ड
		5	छत्रपति शिवाजी वार्ड
		8	अम्बेडकर वार्ड
		9	राजीव गांधी वार्ड
		10	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	1	विवेकानंद वार्ड
		2	चन्द्रशेखर वार्ड
		12	पं.दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	निरंक
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	–	निरंक
7.	महिला वर्ग	6	पं.जवाहरलाल नेहरू वार्ड
		11	श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (2).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (2), दिनांक 05–12–2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th December 2015

NOTIFICATION

No. F 1-13/2015/18 (2).– The list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Konta, distt. Sukma is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

S. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	4	Smt. Indira Gandhi Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	3	Bhagat Singh Ward
		5	Chhatrapati Shivaji Ward
		8	Ambedkar Ward
		9	Rajeev Gandhi Ward
		10	Subhash Chandra Bose Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	1	Vivekanand Ward
		2	Chandrashekhar Ward
		12	Pt. Deendayal Upadhyay Ward
5.	Other Backward Class	-	Nil
6.	Other Backward Class (Female)	-	Nil
7.	Female	6	Pt. Jawaharlal Nehru Ward
		11	Shyamaprasad Mukherjee Ward

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (3).– छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डों की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	–	निरंक
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	02	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड
		03	कुशाभाउ ठाकरे वार्ड
		05	पं.दीनदयाल वार्ड
		12	रानी दुर्गावती वार्ड
		13	राजमोहनी देवी वार्ड
		14	वीरसा मुन्डा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	06	महात्मा गांधी वार्ड
		08	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
		15	लरंग साय वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	निरंक
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	–	निरंक
7.	महिला वर्ग	07	नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड
		09	भारत माता वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (3).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (3), दिनांक 05–12–2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th December 2015

NOTIFICATION

No. F 1-13/2015/18 (3).– The list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Premnagar, distt. Soorajpur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

S. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	-	Nil
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	02	Shaheed Veer Narayan Singh Ward
		03	Kushabhau Thakre Ward
		05	Pt. Deendayal Ward
		12	Rani Durgawati Ward
		13	Rajmohni Devi Ward
		14	Virsa Munda Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	06	Mahatma Gandhi Ward
		08	Dr. Shyama Prasad Mukherjee Ward
		15	Larang Say Ward
5.	Other Backward Class	-	Nil
6.	Other Backward Class (Female)	-	Nil
7.	Female	07	Netaji Subhash Chandra Bose Ward
		09	Bharat Mata Ward

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1—13 / 2015 / 18 (4).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29—ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994

के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत मारो, जिला–बेमेतरा के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डों की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	02	सतनाम वार्ड
		10	गुरू घासीदास वार्ड
		11	संत अमरदास वार्ड
		14	मिनी माता वार्ड
		15	मौली माता वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	01	बाबा साहेब अम्बेडकर वार्ड
		04	छत्रपति शिवाजी वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	13	जय बुढ़ादेव वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	निरंक
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	–	निरंक
7.	महिला वर्ग	07	बजरंग वार्ड
		09	पं.दीनदयाल वार्ड
		12	गुरूनानक वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (4).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (4), दिनांक 05–12–2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th December 2015

NOTIFICATION

No. F 1-13/2015/18 (4).– The list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Maro, distt. Bemetara is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11

of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	02	Satnam Ward
		10	Guru Ghasidas Ward
		11	Sant Amardas Ward
		14	Mini Mata Ward
		15	Mouli Mata Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	01	Baba Saheb Ambedkar Ward
		04	Chhatrapati Shivaji Ward
3.	Scheduled Tribes	13	Jai Budhadev Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	-	Nil
6.	Other Backward Class (Female)	-	Nil
7.	Female	07	Bajrang Ward
		09	Pt. Dindayal Ward
		12	Gurunanak Ward

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (5).– छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत भैरमगढ़, जिला–बीजापुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डों की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	–	निरंक
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	03	श्री शिवमंदीर वार्ड
		04	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड
		07	रानी दुर्गावती वार्ड

		08	महात्मा गांधी वार्ड
		10	श्री गणेश वार्ड
		14	श्री हनुमान वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	01	श्री कोण्डराज वार्ड
		02	श्री पण्डवाल वार्ड
		12	श्री भैरमबाबा वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	निरंक
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	–	निरंक
7.	महिला वर्ग	05	मंगलपाण्डे वार्ड
		09	मां दन्तेश्वरी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (5).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (5), दिनांक 05–12–2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th December 2015

NOTIFICATION

No. F 1-13/2015/18 (5).– The list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Bhairamgarh, distt. Bijapur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	**Reservation for Category**	**Ward No.**	**Name of the Wards**
1.	Scheduled Caste	-	Nil
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	03	Shri Shivmandir Ward
		04	Dr. Radhakrishanan Ward
		07	Rani Durgawati Ward

		08	Mahatma Gandhi Ward
		10	Shri Ganesh Ward
		14	Shri Hanuman Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	01	Shri Kondraj Ward
		02	Shri Pandwal Ward
		12	Shri Bhairambaba Ward
5.	Other Backward Class	-	Nil
6.	Other Backward Class (Female)	-	Nil
7.	Female	05	Mangalpande Ward
		09	Maa Danteshwari Ward

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (6).– छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत भोपालपट्नम, जिला–बीजापुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डों की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	08	महाराज प्रवीरचन्द्र भंजदेव वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	01	शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड
		02	जय बुढ़ादेव वार्ड
		03	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
		04	स्व. बक्कैयाराज वार्ड
		05	शहीद बीरसामुण्डा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	06	मदीना वार्ड
		12	मां बम्लेश्वरी वार्ड
		15	इंदिरा गांधी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	निरंक
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	–	निरंक

7.	महिला वर्ग	07	वीरांगना रानी दुर्गावती वार्ड
		09	महात्मा गांधी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (6).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (6), दिनांक 05–12–2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th December 2015

NOTIFICATION

No. F 1-13/2015/18 (6).– The list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Bhopalpattnam, distt. Bijapur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	08	Maharaja Praveerchandra Bhanjdev Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	01	Shaheed Veernarayan Singh Ward
		02	Jai Budhadev Ward
		03	Subhashchandra Bose Ward
		04	Late Bakkaiyaraj Ward
		05	Shaheed Birsamunda Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	06	Madina Ward
		12	Maa Bamleshwari Ward
		15	Indira Gandhi Ward
5.	Other Backward Class	-	Nil
6.	Other Backward Class (Female)	-	Nil

7.	Female	07	Veerangana Rani Durgawati Ward
		09	Mahatma Gandhi Ward

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (7).– छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका परिषद् बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डों की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	08	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	18	रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड
		20	राजाराम मोहन राय वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	21	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		12	एस.ई.सी.एल. वार्ड
		17	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	04	विवेकानन्द वार्ड
		09	महाराणा प्रताप सिंह वार्ड
7.	महिला वर्ग	03	भगत सिंह वार्ड
		05	महात्मा गांधी वार्ड
		06	गुरूनानक वार्ड
		10	मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 1—13/2015/18 (7).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1—13/2015/18 (7), दिनांक 05—12—2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th December 2015

NOTIFICATION

No. F 1-13/2015/18 (7).– The list of the Reservation of Wards for Nagar Palika Parishad Baikunthpur, distt. Korea is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	08	Dr. Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	18	Ravindra Nath Taigore Ward
		20	Rajaram Mohan Rai Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	21	Shaheed Veer Narayan Singh Ward
5.	Other Backward Class	07	Dr. Rajendra Prasad Ward
		12	S.E.C.L. Ward
		17	Lal Bahadur Shastri Ward
6.	Other Backward Class (Female)	04	Vivekanand Ward
		09	Maharana Pratap Singh Ward
7.	Female	03	Bhagat Singh Ward
		05	Mahatma Gandhi Ward
		06	Gurunanak Ward
		10	Moulana Abdul Kalam Ward

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1—13/2015/18 (8).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29—ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका परिषद् शिवपुर चरचा, जिला—कोरिया के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	09	लाला लाजपत राय वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	01	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	04	सुभाष चन्द्रबोस वार्ड
		12	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	16	छत्रपति शिवाजी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		15	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		20	शांति नगर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	05	शहीद भगत सिंह वार्ड
		13	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
7.	महिला वर्ग	10	पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		17	शहीद भृजभूषण वार्ड
		19	शहीद मंगल पाण्डेय वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 1—13/2015/18 (8).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना कमांक एफ 1—13/2015/18 (8), दिनांक 05—12—2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th December 2015

NOTIFICATION

No. F 1-13/2015/18 (8).– The list of the Reservation of Wards for Nagar Palika Parishad Shivpur charcha, distt. Korea is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	09	Lala Lajpat Rai Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	01	Dr. Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	04	Subhash Chandra Bose Ward
		12	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	16	Chhatrapati Shivaji Ward
5.	Other Backward Class	03	Swami Vivekanand Ward
		15	Dr. Rajendra Prasad Ward
		20	Shanti Nagar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	05	Shaheed Bhagat Singh Ward
		13	Chandrashekhar Aazad Ward
7.	Female	10	Pandit Jawahar Lal Nehru Ward
		17	Shaheed Bhrijbhushan Ward
		19	Shaheed Mangal Pandey Ward

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (9).– छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधींन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका परिषद् खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डों की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	14	संत रविदास वार्ड
		20	सिविल लाईन वार्ड

2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	15	सुभाष चंद्र बोस वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	4	राज फैमिली वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	—	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	बरेठपारा वार्ड
		9	इतवारी बाजार वार्ड
		11	शीतला मंदिर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	7	महावीर स्वामी वार्ड
		10	गुरू घासीदास वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	गंजीपारा वार्ड
		5	ठाकुरपारा वार्ड
		12	अमलीपारा वार्ड
		18	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (9).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–13/2015/18 (9), दिनांक 05–12–2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th December 2015

NOTIFICATION

No. F 1-13/2015/18 (9).– The list of the Reservation of Wards for Nagar Palika Parishad Khairagarh, Distt. Rajnandgaon is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	14	Sant Ravidas Ward
		20	Civil Line Ward

2.	Scheduled Caste (Female)	15	Subhash Chandra Bose Ward
3.	Scheduled Tribes	04	Raj Family Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	06	Bareth Para Ward
		09	Itwari Para Ward
		11	Sheetla Mandir Ward
6.	Other Backward Class (Female)	07	Mahavir Swami Ward
		10	Guru Ghasidas Ward
7.	Female	03	Ganjipara Ward
		05	Thakur Para Ward
		12	Amalipara Ward
		18	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.